

क्रमांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
---------	-----------------------------------	---------------------------------------------------

22/8/24

अधिवक्तागण उपस्थित न होने की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ा दी जाती है। जवाब प्राचीन पत्र हेतु अग्रणी पत्रावली करते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 25/8/24 को पेश हो।

28/8/24

अधिवक्तागण उपस्थित प्राचीन अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र आ. 1 बि. 10(2) CPC पेश किया। बकल अप्राचीन अधिवक्ता को दिलाई गई अप्राचीन अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र पर No objection किया। लिहाजा प्राचीन का प्राचीन पत्र आदेश 1 नियम 10(2) CPC स्वीकार किया जाकर अप्राचीन संख्या 2 व 5 को बतौर पत्रकार हटाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। जवाब स्टेट पेश नहीं करते पर बन्द किया जाता है।
 बहस अधिवक्तागण सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया लिहाजा प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधवाता दिनांक 30/01/2024 को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Amr



उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर